

कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर (म.प्र.)

क्र./एनआरईजीएस/ग्रा.रो.सहा./2010-11/12364

श्योपुर दिनांक 25/10/10

आदेश

म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. /14115/एनआर-2/2009 भोपाल दिनांक 10.11.09 के क्रम में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. अन्तर्गत ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति प्रथम चरण में योजना प्रारंभ से अर्थात् 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में से किन्ही दो वित्तीय वर्ष में जिस ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अधिक का कार्य हुआ है में ग्राम रोजगार सहायक की संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालयों पर प्राप्त कर सामान्य सभा में अनुमोदित करने के उपरान्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की देखरेख में तैयार की गई मैरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदित उपरान्त निम्नांकित अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन समक्ष में अंकित ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निर्धारित संविदा शर्तों के अधीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को संबंधित चयनित अभ्यर्थियों की विस्तृत पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

जनपद पंचायत - विजयपुर

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित उम्मीदवार	प्रतीक्षारत क्रमबद्ध
1	चेंटीखेड़ा	श्री राकेशकुमार जाटव	श्री ऋषभ शर्मा
2	जाखेर	श्रीमती रूमाली रावत	श्री राजेन्द्र मीणा
3	नदीगाँव	श्री रामरज रावत	श्री वीरेन्द्रकुमार अवस्थी
4	अरौंद	श्री ऋषभ शर्मा	श्री मातादीन शर्मा
5	टराखुर्द	श्री रामगणेश रावत	श्री भरतलाल
6	टराकला	श्री फूलसिंह गोरछिया	श्री भंवरसिंह मीणा
7	ओछा	श्री तुलसीराम पाराशर	श्री लक्ष्मीनारायण मीणा
8	अगरा	श्री राकेशकुमार जाटव	श्री जगदेवकुमार शर्मा
9	गांवड़ी	श्री ज्ञानेन्द्रसिंह जादौन	श्री सतीशकुमार शर्मा
10	गोबर	श्री आदित्य शर्मा	श्री दाताराम शर्मा
11	लाडपुरा	श्री संदीप घाकड़	श्री जितेन्द्रकुमार त्यागी
12	उमरीकला	श्री राकेशकुमार जाटव	श्री मुकेश जाटव
13	वीरपुर	श्री श्यामकुमार गुप्ता	श्री संजय माहौर
14	बरौली	श्री महावीर प्रजापति	श्री हामिकसिंह मीणा
15	बरदुला	श्री मेगसिंह रावत	अनिर्णित
16	कदवई	श्री चन्द्रशेखर घाकड़	श्री रामभरत घाकड़
17	मगरदेह	श्री चंद्रशेखर घाकड़	श्री नीतेश झा
18	रिझेटा	श्री गोपाल शर्मा	श्रीमती माया शर्मा
19	हीरापुरा	श्री रामनिवास मीणा	अनिर्णित
20	पांचों	श्री योगेन्द्रसिंह जादौन	श्री विनोद सिंह
21	पचनया	श्री धारासिंह प्रजापति	अनिर्णित
22	रघुनाथपुर	श्री रामेश्वर राठौर	श्री शिवमसिंह जादौन
23	रनावत	श्री लक्षाराम घाकड़	अनिर्णित
24	दांतेटी	श्री सुमेरसिंह मीणा	टीना रावत
25	दाउदपुर	श्री राजूखों	श्री विनोदकुमार
26	दोर्द	श्री रामनाथ जाटव	श्री शिवराम कुशवाह

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित उम्मीदवार	प्रतीक्षारत क्रमबद्ध
27	घूघस	श्री दीनदयाल राठौर	श्री भारती राठौर
28	घनायचा	श्री लक्ष्मीनारायण प्रजापति	श्री रामप्रसाद प्रजापति
29	किन्नपुरा	श्री महेश राठौर	श्री मानसिंह जाटव
30	मोरेका	श्री देवीशंकर	श्री पृथ्वीराज प्रजापति
31	आरोदा	श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह	श्री भूपसिंह धाकड
32	गढी	श्री लोकेन्द्र राठौर	श्री छत्रपाल सिंह धाकड
33	गोहरा	श्री भूपेन्द्र सिंह धाकड	श्री मोहन शर्मा
34	गसवानी	श्री गजराज सिंह अर्गल	श्री विशराम आदिवासी
35	धामिनी	श्री महेन्द्र रावत	निरंक (प्रतीक्षा में आवेदन नहीं)
36	खुरजान	श्री दिलीप सिंह यादव	श्री भूरा सिंह कुशवाह
37	काठोन	श्री महेश कुशवाह	श्री मातादीन कुशवाह
38	मढा	श्री श्रीलाल शाक्य	श्री करन लाल जाटव
39	मैदावली	श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह	श्री भूप सिंह धाकड
40	खितरपाल	श्री पातीराम जाटव	श्रीमती सुलेखा कुशवाह
41	पार्वतीबडोदा	श्री आदिराम धाकड	श्री रामसेवक पुरी गोस्वामी
42	पुरा	श्री विनोद आर्य	श्री दीपक राठौर
43	पिपरवास	श्री संजय कुमार शर्मा	श्री रिन्कू कुशवाह
44	बेनीपुरा	श्री दीपेन्द्र कुमार शर्मा	श्री सुनील कुमार शर्मा
45	चिमलवानी	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	श्री नरोत्तम धाकड
46	घोरीबावड़ी	श्री संजयसिंह जादौन	श्री रविन्द्र माहौर
47	गोहटा	श्री पंकज मंगल	श्री महेश रावत
48	कीजरी	श्री गजराजसिंह अर्गल	श्री विश्राम आदिवासी
49	इकलोद	श्री राकेश धाकड	श्री रूपसिंह कुशवाह

ग्राम पंचायत सुठारा में पुनः विज्ञप्ति जारी की जावे। ग्राम पंचायत पारोंद, पालपुर, नयागांव एवं अहिरवानी कूनो अभ्यारण्य क्षेत्र में आने से भर्ती नहीं की गई।

जनपद पंचायत - कराहल

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित उम्मीदवार	प्रतीक्षारत क्रमबद्ध
1	सुबकरा	श्री अरविंद कुमार राठौर	कु. नीरज राठौर
2	वर्धाखुर्द	श्री गिर्राज शर्मा	श्री रामसिंह आदिवासी
3	हीरापुर	श्री अनिल खान	श्री राजू आदिवासी
4	झरेर	श्री अनिल खान	श्री राजू आदिवासी
5	सेमल्दा हवेली	श्री दिलीप जाट	श्री अजय शर्मा
6	कराहल	श्री संदीप सिंह तोमर	श्री ओमप्रकाश जाटव
7	गोटरा	श्री राजू रावत	श्री गोविंद सिंह रावत
8	कलारना	श्री रामस्वरूप बैरवा	श्री नौशाद
9	आवदा	श्री राजेंद्र सिंह गुर्जर	श्री रामवीर
10	मोरावन	श्री रामकिशन सिंह गुर्जर	अनिर्णित
11	झिरन्या	श्री सुरेन्द्र सिंह जाट	श्री योगेन्द्र सिंह
12	बगवाज	श्री गगन त्रिवेदी	श्री कमला कृष्ण शर्मा
13	बंधाली	श्रीमती रजनी जाट	श्री पवन कुमार शर्मा
14	बुढेरा	श्रीमती अनीता गुर्जर	श्री राजेंद्र सिंह गुर्जर
15	बरगवां	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	श्री शिवकुमार वर्मा

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित उम्मीदवार	प्रतीक्षारत क्रमबद्ध
16	गढला	श्री माखन सिंह	श्री कालूराम
17	फतेहपुर	श्री मुकेश बंजारा	श्री दिलीप सिंह जाट
18	रीछी	श्री बृजकिशोर तोमर	श्री देवकीनंदन शर्मा
19	सलमान्या	श्री भानु प्रताप सिंह	श्री होतम सिंह जाट
20	सिलपुरी	श्री ओमप्रकाश प्रजापति	श्री उदय सिंह
21	बांसेड	श्री कन्हैया लाल	श्री दशरथ सिंह
22	ढेंगदा	श्री कमला कृष्ण शर्मा	श्री शिवराम सिंह राय
23	गोरस	श्री ठाकुर दास मारू	श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव
24	चितारा	श्री बासू बामनिया	श्री मुन्ना वामनिया
25	बावडीचापा	श्री राजू पवार	श्री खेमसिंह जाट
26	पहेला	श्री लोकेश सिंह जाट	श्री विजय कुमार शर्मा
27	बाढ	श्री धीरज सिंह धाकड	श्री वीर सिंह यादव
28	मयापुर	श्री गुरप्रीत सिंह	श्री प्रशांत वैष्णव
29	सेसईपुरा	श्री माधोसिंह गुर्जर	श्री अमरलाल गोलिया
30	निमानिया	श्री राधेश्याम यादव	श्री चन्द्रशेखर शर्मा
31	जाखदा	श्री ध्रुवसिंह मीणा	श्री बनवारी लाल प्रजापति
32	पर्ववाडा	श्री अनूप सिंह चौहान	श्री मनोज कुमार जाटव
33	खिरखिरी	श्री गोविन्द कुमार बलई	श्री धीरज सिंह धाकड
34	मेहरबानी	श्री ललित कुमार शर्मा	श्री रामदयाल आदिवासी
35	मालीपुरा	श्री बलराम सुमन	श्री रामअवतार सुमन
36	रानीपुरा	श्री ओमप्रकाश जाटव	श्री सोनू जंगम
37	करियादेह	श्री नीरज यादव	श्री बृजभूषण
38	लहरोनी	श्री पंकज कुमार मंगल	श्री दशरथ सिंह सिकरवार
39	कैतोर	श्री कमलेश चौधरी	श्री संजय भारती
40	लुहारी	श्री बुद्ध सिंह	श्री सुनील कुमार
41	बुखारी	श्री वल्लभ सिंह जाट	श्री सुखमहेन्द्र
42	मदनपुर	श्री कृष्णकांत श्रीवास्तव	श्री दशरथ सिंह सिकरवार

ग्राम पंचायत भेला भीमलत, पिपरानी एवं कलमी ककरधा में पुनः विज्ञप्ति जारी की जावे।
जनपद पंचायत - श्योपुर

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित उम्मीदवार	प्रतीक्षारत क्रमबद्ध
1	अडवाड	श्री धनपाल जाटव	श्री कमलेश जाटव
2	अजापुरा	श्री चेतन शर्मा	श्री विक्रम सिंह
3	अलापुरा	श्री कमल किशोर नागर	श्री गिरिजा शकर नागर
4	बागल्दा	श्री मोहम्मद साबिर	श्री राजू आदिवासी
5	बगदिया	श्री सागर सिंह जाटव	श्री पवनकुमार
6	बहरावदा	श्री संतोष कुमार मीणा	श्री विष्णु कुमार गौतम
7	भिलवाडिया	कु. धर्मिन्ता मीणा	श्री धारा सिंह मीणा
8	छोटाखेडा	श्री वासिद अली	श्री रामलखन बैरवा
9	दलारना कला	श्री रामसिंह जाटव	श्री देवेन्द्र गुप्ता
10	धीरोली	श्री रामसिंह जुगराज	श्री गजेन्द्र कुमार
11	ढोढर	श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह	श्री सुमरन जाटव
12	ढोंटी	श्री जितेन्द्र कुमार पारिख	श्री बलराम मीणा
13	दुबडी	श्री महावीर गुर्जर	श्री बृजराज वैष्णव

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित उम्मीदवार	प्रतीक्षारत क्रमबद्ध
14	फिलोजपुरा	श्री रितुराज धाकड	श्री रेखराज जैन
15	गलमान्या	श्री पूरन सिंह बैरवा	श्री रणजीत सुमन
16	हासिलपुर	श्री शिनोद सिंह राजपूत	श्री बेअंत सिंह कम्बोज
17	हिरनीखेडा	श्री राकेश कुमार	श्री रेवती रमण जांगिड
18	जैदा	श्री संतोष मीणा	श्री लख्मीचंद मीणा
19	जैनी	श्री धनजीत मीणा	श्री विनोद कुमार
20	काशीपुर	श्री अमृतलाल माहौर	श्री त्रिशेन कुमार
21	खिरखिरी	श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह	श्री घनश्याम सिंद रावत
22	कुडायथा	श्री राममुकेश जाटव	श्री रूकमाल मीणा
23	लाडपुरा	श्री रोशन गुर्जर	श्री शैलेन्द्र सिंह
24	माखनाखेडली	श्री रघुवीर केवट	श्री मुकेश आर्य
25	मानपुर	श्री गजेन्द्र सिंह तोमर	श्री लोकेन्द्र कुमार जाटव
26	मेवाडा	श्री बलराम मीणा	श्री रामजन्म मीणा
27	नंदापुर	श्री राजू आर्य	श्री रामजीलाल गुर्जर
28	नयागाव तेखण्ड	श्री प्रमोद कुमार	श्री मुकुंद जाटव
29	पाण्डोली	श्री जगदीश प्रसाद जाटव	श्री निरंजन मीणा
30	पनवाड	श्री संदीप सिंह परिहार	श्री रमेश चंद धाकड
31	पानडी	श्री मोहर सिंह मीणा	श्री गिराज जाटव
32	सेमल्दा	श्री रमेश चंद जाटव	श्री विष्णु वीर सिंह जाट
33	शंकरपुर	श्री मनोज शर्मा	श्री रामदास आदिवासी
34	सोंटवा	श्री सुरेश चंद जाटव	श्री गोविंद नायक
35	उतनवाड	श्री हेमंत नागर	श्री विनोद कुमार

कार्यक्रम अधिकारी संलग्न कलेण्डर अनुसार नियुक्ति आदेश जारी कर प्रशिक्षण पश्चात निर्धारित जॉबचार्ट अनुसार रोजगार सहायक से कार्य सम्पादित करावेंगे। तथा इनके कार्य का मासिक मूल्यांकन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.स्कीम-म.प्र./
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म.प्र.)
श्योपुर दिनांक 23/10/10


पृ.क्र./एनआरईजीएस/ग्रा.रो.सहा./10-11/12365
प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना।
- आयुक्त, पंचायत म.प्र. शासन भोपाल।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर/विजयपुर/कराहल

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.स्कीम-म.प्र./
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म.प्र.)

ग्राम रोजगार सहायक का जॉबचार्ट


1. क्षेत्रांतर्गत रोजगार की मांग का सृजन करना, आवेदन प्राप्ति एवं पावती देना, प्राप्त आवेदनों की साप्ताहिक जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराना। ग्राम पंचायत क्षेत्र में जॉबकार्डधारी समस्त श्रमिक निरंतर कार्य पर उपस्थित होने तथा क्षेत्रांतर्गत रोजान्मुखी एवं विकासोन्मुखी कार्य निरंतर प्रचलित रखना।
2. प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में या प्रचलित कार्यों पर बोर्ड लगवाना (आर.सी.सी. का)
3. मजदूर चौपाल प्रतिदिन लगे, मेट उपस्थित रहें एवं प्रचलित कार्यों की सूची का प्रतिदिन मजदूर चौपाल पर प्रकाशन, कार्यस्थल एवं कार्य प्रारंभ होने का प्रचार-प्रसार, मजदूरों को कार्य पर लगाना।
4. कार्य नियमित प्रचलित रखना, आवश्यक पूर्व तैयारी करना यथा कार्य की स्वीकृति, तकनीकी, स्वीकृति, लेआउट प्राप्त करना, एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर मेट को उपलब्ध कराना एवं कार्य तकनीकी गुणवत्ता का हो सुनिश्चित करना।
5. प्रचलित कार्यों का प्रतिदिवस पहुंचकर श्रमिकों का व्यक्तिगत सत्यापन, प्रतिदिवस मस्टररोल संधारण करना।
6. कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधा यथा, दवाईयां, पेयजल, छाया, झूलाघर, आदि की व्यवस्था करना।
7. प्रतिदिवस के कार्य का मापलेखन करना। (वर्तमान स्थिति) साप्ताहिक माप हेतु उपयंत्रों की अनुपस्थिति में मापना एवं नोट करना तथा उपयंत्रों की उपस्थिति में साप्ताहिक मूल्यांकन करवाना।
8. मजदूरों की मजदूरी का नियत समय पर बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान कराना।
9. ग्राम पंचायत के समस्त कार्य स्थलों पर कितनी सामग्री प्राप्त हुई कितने का उपयोग हुआ एवं कितना कार्यस्थल पर शेष है, जानकारी की पंजी संधारित एवं सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
10. यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में पारदर्शिता और स्वघोषणा के मानकों का उचित प्रकार पालन किया जाये।
11. ग्राम सभा की बैठक और सामाजिक अंकेक्षण में सचिव का सहयोग करना।
12. निर्धारित समस्त पंजियों का नियमित संधारण एवं ग्रामीणजनों को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना।
13. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर सौंपी गई समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।


अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.स्कीम-म.प्र./
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.

ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति एवं प्रशिक्षण कैलेंडर

क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	दिनांक
1.	नियुक्ति आदेश जारी करना	27.10.2010 तक
2.	जनपद स्तर पर ज्वॉइनिंग कराना	04.11.2010 तक
3.	जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करना	08.11.10 से 14.11.10 तक


अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.स्कीम-म.प्र./
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म.प्र.)

कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
कार्यक्रम अधिकारी / जनपद पंचायत जिला

क्र./

/एनआरईजीएस/ज.प./09

दिनांक

: : आदेश : :

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद जनपद पंचायत जिला
के अंतर्गत चयनित निम्न उम्मीदवार को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर दर्शाई गई संविदा शर्तों पर उनके नाम के समक्ष में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र0	उम्मीदवार का नाम	विभाग	पदस्थापना का विवरण
1			ग्राम पंचायत.....

उपरोक्त उम्मीदवार को दिनांक (एक सप्ताह) के पूर्व जनपद पंचायत जिला के कार्यालय में पदभार ग्रहण करना होगा।
संविदा शर्तें :

1. ग्राम रोजगार सहायक को रुपये 3,200/- प्रतिमाह की दर से संविदा रकम देय होगी।
2. संविदा रकम का भुगतान संबंधित जनपद पंचायत द्वारा प्रशासनिक व्यय में से देय होगा।
3. संबंधित रकम का भुगतान संबंधित जनपद पंचायत के द्वारा सीधे ग्राम रोजगार सहायक के बैंक खाते में जमा किया जावेगा।
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/ संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
5. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों द्वारा शासित होगा।
7. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष के लिए रहेगी। कार्य संतोषजनक होने एवं कार्य की आवश्यकता होने पर कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा जिला कार्यक्रम के पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर एक समय में अधिकतम 1 वर्ष के लिये संविदा का नवीनीकरण किया जावेगा।
8. यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जावेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रुपये 10 लाख से कम व्यय किया गया हो तो अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित ग्राम पंचायत में 31 मार्च को संविदा ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएँ स्वयंमेव समाप्त जानी जावेगी।
9. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। महिला कर्मचारियों को 90 दिवस के मातृत्व अवकाश की पात्रता रहेगी।
13. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 07 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

aadesh

14. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।
15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
16. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।
17. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/ कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
18. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।
19. एक वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।
20. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
21. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेशा संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
23. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी
जनपद पंचायत

जिला

पृ.क्र./ /एनआरईजीएस/ज.प./09

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त आयुक्त, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी
जनपद पंचायत

जिला